मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में बजट पर बहस एवं चर्चा का जवाब पेश किया।

‘देश में चार जातियां, युवा, महिला, किसान, और गरीब, हमारा बजट इन चारों के लिए है’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि बजट को लेकर सदन में काफी कुछ कहा गया। यह बजट चहुंमुखी विकास करने वाला है। इन लोगों को तकलीफ इस बात से है कि विपक्ष के कुछ विधायकों ने भी खुले मन से तारीफ की। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि देश में चार जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। यह बजट इन चारों को आगे ले जाने वाला है।

मुख्यमंत्री शर्मा कहा कि राजस्थान की नहर परियोजना का नाम पहले राजस्थान नहर था, लेकिन 1984 में इस नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया। कांग्रेस के लोग योजनाओं के नाम बदलने की चर्चा कर रहे थे। अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया। अरे भाई, एक परिवार के नाम कितनी योजनाओं के नाम करोगे? मां अन्नपूर्णा के नाम से क्या दिक्कत थी। कांग्रेस में एक ही परिवार की भक्ति की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने रॉबर्ट वाड्रा पर भी नाम लिए बिना हमला बोला। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने अभी नेहरूजी का जिक्र किया, उन्होंने आगे भी सबके नाम लिए। वो नाम नहीं लिए होते तो दामादजी का नाम कैसे आता। दामादजी का राजस्थान से क्या रिश्ता है, सब जानते हैं।

- **मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया और बोले, वो कहते थे मांगते-मांगते थक जाओगे पर मैं देते-देते नहीं थकूंगा, पर सिर्फ थोथी घोषणाएं कीं, एक भी घोषणा फलीभूत नहीं हुई।**
- **पेपर लीक पर मुख्यमंत्री ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कांग्रेस व डोटासरा को घेरा और बोले, पेपरलीक इतने हुए, कितने करुं बयान, पास हुए ‘‘परिवारजन क्या-क्या करू बयान।’’**
- **उन्होंने ई.आर.सी.पी. पर कांग्रेस की आलोचना की व कहा, ई.आर.सी.पी. हमारी सरकार लाई है। एम.ओ.यू. हमने किया, आपने क्या किया बता दीजिए।**

मुख्यमंत्री ने कहा- इंदिरा गांधी का बचपन का नाम प्रियदर्शिनी था, महिलाओं की योजना का नाम कहां से ढूंढकर लाए। एक परिवार के प्रति ऐसा समर्पण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन आपातकाल के काले दिनों को भी याद कर लीजिए। इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि किस तरह संविधान की हत्या की गई थी।

संविधान हत्या दिवस का जिक्र करने पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की और कुछ देर के लिए सदन में शोर-शराबा हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने केवल थोथी घोषणाएं कीं। कहते थे कि आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा। पशुधन स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की, लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया। राजसमंद-जालोर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, वहां बने क्या? डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की थी, कितने बने?

मुख्यमंत्री ने कविता कहकर कांग्रेस और डोटासरा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, ‘‘पेपर लीक इतने हुए, कितने करूं बखान, पास हुए परिवारजन, क्या-क्या करूं बयान। खूब करी मेहमान नवाज़ी अपनी सरकार बचाने को, जनता का पैसा लुटवाया अपना राज बचाने को।अपने स्वार्थ की खातिर अपनों को ही दी गाली, केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली।

पेपर लीक पर सीएम ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि अभी छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी हैं, बड़े मगरमच्छ तो अभी बाहर हैं। वे बिल्कुल चिंता न करें, छोटी मछलियों के लिए इनका जाल छोटा पड़ गया था, लेकिन मैं बृज भूमि से आता हूं, मेरी सुदर्शन चक्रधारी बंसीवाले में अटूट आस्था है। आपको पता है, इनका जाल जरूर छोटा पड़ गया होगा, परंतु उसके सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच पाएगा। सुदर्शन चक्र वाला जब आएगा तो बड़े-बड़े मगरमच्छों का भी इलाज होगा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा- श्रवण कुमार 44 साल से सदन में आ रहे हैं। वे सीनियर हैं, दर्द ज़ाहिर कर रहे थे। मैं उनके दर्द को समझता हूं। चवालिस सालों में एक भी कांग्रेस नेता ने पानी के लिए लेटर लिखा हो तो बता दीजिए। ई.आर.सी.पी. लाई तो हमारी सरकार लाई। हमारी वसुंधरा राजे सरकार के समय बनी। आपने ई.आर.सी.पी. के लिए क्या किया, यह बता दीजिए। ई.आर.सी.पी. पर एम.ओ.यू. हमने किया। कांग्रेस ने एम.ओ.यू. किया हो तो सदन में रख दीजिए। कांग्रेस वाले हमेशा भ्रम फैलाते हैं।

देवयानी से जल लेकर जा रहे कांवड़ियों की सांभर थाना पुलिस ने पिटाई की

सांभरझील, 29 जुलाई (निसं)। ग्राम सांवरदा से देवयानी तीर्थ स्थल का पवित्र जल लेकर डीजे की धुन पर नाचते-गाते लौट रहे कांवड़ियों को थाना अधिकारी के निर्देश पर सांभर थाने के पुलिसकर्मियों ने पहले उनका डीजे बंद करवाया व डीजे संचालक के साथ मारपीट की और म्यूज़िक सिस्टम जब्त कर कांवड़ियों को थाने ले गई। बताया जा रहा है कि सिविल ड्रेस में कांस्टेबल खेमचंद इतना अधिक गुस्से में भर गया कि थाना परिसर में ही उसने एक कांवड़िया को पकड़कर चांटे मारना शुरू कर दिया। बचाव में जब अन्य कांवड़ियों ने विरोध किया तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कांस्टेबल खेमचंद को थाना परिसर में अंदर ले गए।

इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सनातन प्रेमियों में जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया। घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस की इस बर्बरता को लेकर सांभर थाना परिसर में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, देवयानी विकास समिति सहित जनप्रतिनिधियों के अलावा, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे थाने पहुंच गई और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि तत्काल प्रभाव से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी और थानाधिकारी को सस्पैंड किया जाए। सुबह से दोपहर तक कई बार वार्ताओं का दौर चला। मामला शांत होते नहीं देख पुलिस ने नजाकत को समझते हुए एस.पी. को भी सूचना दी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी से भी अवगत कराया। पिटाई का विडियो एडिशनल एस.पी. और जयपुर ग्रामीण एस.पी. तक भी पहुंचा तो उन्होंने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का संदेश भिजवाया।

कांवड़ियों के साथ पुलिस मारपीट के विरोध में सोमवार को हिन्दू संगठनों ने सांभर थाने के आगे जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया।

- **डीजे की धुन पर नाचते गाते लौट रहे कांवड़ियों को पुलिस ने रोका।**
- **विभिन्न हिंदू संगठनों ने सांभर थाना पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया।**
- **मामले में एस.पी. ग्रामीण ने एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया।**

धरना स्थल पर मौजूद सभी का कहना था कि जब तक कांस्टेबल को सस्पैंड करने का ऑर्डर उन्हें नहीं दिखाया जाएगा, वे यहां से हिलने वाले नहीं है। दोपहर में ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शांतनु कुमार ने कांस्टेबल खेमचंद को सस्पैंड करने के आदेश जारी कर दिए और सस्पैंशन की कॉपी धरना स्थल पर मौजूद जनप्रतिनिधियों को भी वॉट्सएप पर उपलब्ध करवाई गई। इसके बाद लोगों ने थानाधिकारी को भी सस्पैंड करने का मुद्दा उठा लिया और यह मामला करीब शाम 5:00 बजे तक चलता रहा।

इसके बाद एडिशनल एस.पी. मौके पर पहुंचे और बात की तथा थानाधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस मामले में पिटाई का शिकार हुए कांवड़िया ने लिखित में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है।

इस मामले में विधायक विद्याधर चौधरी ने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कल रात सांभर में कांवड़ियों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट की घटना हुई है। उसकी मैं कठोर निंदा करता हूं।

पूर्व विधायक निर्मल कुमावत का कहना है कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है तथा पुलिसकर्मी को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

एडिशनल एस.पी. ब्रजमोहन मीणा का कहना है कि शिकायत पर चार सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है तथा अनुसंधान के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक सारिका खंडेलवाल का कहना है कि मामले की जांच कर सभी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

‘हालांकि, भाजपा की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्हें ए-1 तथा ए-2 कहा करेंगे।

राहुल ने कहा कि इस चक्रव्यूह के खिलाफ शिवजी की बारात है, जिसमें सबका स्वागत है तथा शिवजी की यह बारात (अर्थात इंडिया गठबंधन) इस चक्रव्यूह को तोड़ देगी।

इन दिनों, जब राहुल बोलते हैं तो वे रुकते तो है ही नहीं, जब वे विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार को टक्कर देते हैं, उस समय वे काफी मजेदार बातें भी बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट ने मध्यम वर्ग के सीने तथा पीठ में छुरा भौंका है। उन्होंने कहा कि यही मध्यम वर्ग मोदी सरकार की प्रशंसा के गीत गाते थकता नहीं है।

राहुल ने संसद की कार्यवाही की कवरेज करने वाले मीडिया का भी पक्ष लिया, यद्यपि, उनके अनुसार, इनमें से अधिकांश राहुल गांधी को ज्यादा जगह कभी नहीं देते, बल्कि ज्यादातर तो उनकी उपेक्षा ही करते हैं।

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि वे उन्हें इस ‘‘कांच पिंजरे’’ से मुक्त कर दें। संसद की सिक्योरिटी द्वारा मीडिया से कहा गया है कि वे लोग मीडिया के लिये बनाये गये ग्लास कन्टेनर में ही रहें तथा नये भवन के प्रवेश द्वार पर सांसदों और मन्त्रियों की बाइट्स भी न लें, जिससे सांसद परेशान न हों।

जब राहुल ने लोकसभा के पटल पर यह मुद्दा उठाया, तो मीडिया ने सांसदों आदि का बहिष्कार कर दिया तथा इस मुद्दे ने एक बड़ा रूप ले लिया।

4 जून से पहले वाले समय को बड़े पैमाने पर अलविदा कहते हुये, अब मुख्य धारा वाले चैनलों ने राहुल को दिखाना शुरू कर दिया है तथा उनके भाषण सोशल मीडिया पर हर समय दिखाई और सुनाई दे रहे हैं।

आगामी दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होंगे।

बारामूला में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सोपोर कस्बे के शेर कॉलोनी में एक कबाड़ विक्रेता की दुकान के अंदर हुआ। घटना के वक्त कुछ लोग ट्रक से कबाड़ उतार रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि धमाके इतना जोरदार था कि दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की शिनाख्त नजीर अहमद नादरू (40), आजिम अशरफ मीर (20), आदिल राशिद भट (23) और मोहम्मद अजहर (25) के रूप में हुई है। इस घटना में एक अन्य घायल भी हुआ है। वहीं, विस्फोट के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। सेना और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। वहीं, इलाके में विस्फोट के बाद दहशत का माहौल है।

‘ऑफ ड्यूटी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है और वह किसी क्षतिपूर्ति राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी अनूप कुमार सक्सैना व दीपक चाचान ने यह आदेश श्याम सुन्दर रूण्डला के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिया।

प्रार्थना पत्र में जे.वी.वी.एन.एल. व के-3 कंस्ट्रक्शन कंपनी सहित अन्य को पक्षकार बनाते हुए कहा कि वह कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधीन काम करता है। इस दौरान वह बिजली लाइन का काम कर रहा था तो ड्यूटी कर्मचारी मुकेश ने लापरवाही से बिजली लाइन को चालू कर दिया, जिससे वह करंट से झुलस गया और उसका बांया हाथ कंधे से काटना पड़ा। इस कारण आई निशक्तता से वह बेरोजगार हो गया है। इसलिए उसे जे.वी.वी.एन.एल. सहित अन्य पक्षकारों से क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। जवाब में जे.वी.वी.एन.एल. ने कहा कि जिस समय यह हादसा हुआ, तब परिवादी की ड्यूटी नहीं थी और उसने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। ऐसे में विभाग किसी तरह की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसने बिना शट डाउन लिए काम किया है, जो गलत है। अदालत ने विभाग व अन्य पक्षकारों की दलीलों से सहमत होकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

गुरुद्वारों पर अब भगवा झण्डा नहीं लहराया जायेगा

सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने यह फैसला जारी किया

नई दिल्ली, 29 जुलाई। खालसा पंथ की शान और सम्मान का प्रतीक निशान साहिब का रंग अब केसरिया नहीं होगा। सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आदेश जारी किए हैं कि अब से इसका रंग बसंती होगा। यह फैसला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाल तख्त साहिब में हुई पांच सिंह साहिबान की बैठक के बाद लिया है। एसजीपीसी की ओर से एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि केसरी निशान साहिब को लेकर संगत के बीच दुविधा थी। कुछ मामले अकाल तख्त साहिब के ध्यान में आए जिसके बाद इस पर चर्चा हुई। पांच सिंह साहिबानों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि निशान साहिब का रंग बेशक भगवा है, लेकिन गलती से यह हिंदू धर्म के प्रतीक भगवा रंग से मिलता-जुलता है। इस कारण कई बार संगत के लोग या अजनबी लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं और दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इसी दुविधा को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है, इस कारण

- **अब पवित्र निशान साहिब पर फहराया जाने वाला झण्डा बसंती रंग का होगा।**

कभी-कभी कुछ लोग यह प्रचार करते हैं कि हिंदू और सिख एक ही धर्म हैं। इस तरह के भ्रम से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि उनका फैसला किसी धर्म या भगवा रंग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्कुलर को किसी धर्म से जोड़कर विवाद पैदा नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला कोई नया नहीं है। अनुपालन परिपत्र बिना किसी तय मानक के जारी किया गया है।

निशान साहिब सिखों के लिए पवित्र ध्वज होता है। यह हर गुरुद्वारे के बाहर फहराता रहता है। इसे वो अपनी धार्मिक रैलियों या धार्मिक-राजनीतिक रैलियों में भी इस्तेमाल करते हैं। अपने वाहनों में सबसे ऊपर लगाकर भी चलते हैं। ये पवित्र त्रिकोणीय ध्वज कॉटन या रेशम के कपड़े का बना होता। इसके सिरे पर एक रेशम की लटकन होती है। इसे हर गुरुद्वारे के बाहर एक ऊंचे ध्वजडंड पर फहराया जाता है। सिख परंपरा के अनुसार निशान साहिब को फहरा रहे डंड में ध्वजकलश (ध्वजडंड का शिखर) के रूप में एक दोधारी खंडा (तलवार) होता है और डंडे को पूरी तरह कपड़े से लपेटा जाता है। झंडे के बीच में एक खंडा चिह्न होता है।

‘निर्देशों का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परीक्षा की प्रक्रिया में शिथिलता नहीं दिला सकता। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पायल व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए।

याचिकाओं में कहा गया था कि उन्होंने आर.जे.एस. भर्ती परीक्षा में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने ओ.एम.आर. शीट में उत्तर देते समय गोलों को सही तरीके से नहीं भरा है।

कर चोरी के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि आरोपी गौतम गर्ग ने करीब 7.48 करोड रुपए की कर चोरी की थी। जीएसटी एक्ट की धारा 70 के तहत दर्ज बयानों में आरोपी ने माना कि उसने अपने अंकल से मिलकर फर्जी फर्मो को सप्लाई दिखाकर कर चोरी की है। इसके अलावा, विभाग को उसके घर से चार लाख रुपए की नकदी भी मिली थी। इसके अलावा, उसके मोबाइल में सोशल मीडिया के बने ग्रुप में भी कर चोरी की बातें सामने आई हैं। इसके बावजूद भी निचली अदालत ने माना कि आरोपी ने सामान्य परिस्थितियों में बयान दर्ज नहीं कराए थे। वहीं, इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि वह संबंधित कंपनियों का मैनेजर है तथा अन्य साक्ष्य भी ऐसे नहीं है कि उसे जेल में रखा जाए। इसके साथ ही, निचली अदालत ने गत 3 नवंबर को उसकी जमानत अर्जी को मंजूर कर उसे जेल से रिहा करने के आदेश दिए। केन्द्र सरकार की याचिका में मांग की गई थी कि उसे मिली जमानत को रद्द कर आरोपी को पुनः जेल भेजा जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को मिली जमानत रद्द कर उसे निचली अदालत में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।

कर्नाटक सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर रही हैं। ‘‘इसके बाद मुख्यमंत्री पार्टी आलाकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली चले गये।

वित्त मंत्री की आलोचना करते हुये, उन्होंने कहा कि केन्द्र की नीतियाँ उद्योगों को राज्य से बाहर खदेड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण, देश में एफ.डी.आई. 31 प्रतिशत कम हो गई है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे टैक्स की ज्यादा आय देने वले राज्यों को आखिर बजट में क्या मिला। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी, का कई विपक्ष-शासित राज्यों ने जो बहिष्कार किया था, उसके लिए केन्द्र सरकार का रूख और तौर-तरीका ही पूरी तरह जिम्मेदार था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत देते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज करते हुये, वित्त मंत्री ने कहा कि यू.पी.ए. सरकार के 10 वर्षों के दौरान, टैक्स के हस्तान्तरण के रूप में कर्नाटक को प्रतिवर्ष 8,179 करोड़ रूपए मिला करते थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले इस वर्ष में ही राज्य के 45,485 करोड़ रूपए दिये हैं।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों के जवाब में कहा कि यू.पी.ए. शासन के 10 वर्षों में कर्नाटक को सहायता-अनुदान (ग्रान्ट-इन-एड) के रूप में 60,779 करोड़ रूपए अर्थात् 6,077.9 करोड़ प्रतिवर्ष मिले थे। लेकिन एन.डी.ए. शासन में गत वर्ष यह राशि 2,36,955 करोड़ रूपए थी।

‘देश में भय का माहौल है, पर, हम भाजपा के इस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाता है। इक्कीसवी सदी में एक नये ‘‘चक्रव्यूह’’ की रचना की गई है और वह भी कमल जैसा ही निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री उसके प्रतीक चिन्ह को अपने सीने पर टांगते हैं। उस समय जो व्यवहार अभिमन्यु के साथ किया गया था, वही व्यवहार भारत की जनता -युवाओं, किसानों, महिलाओं, छोटे व मध्यम व्यापारियों के साथ किया जा रहा है।’’

उन्होंने आगे कहा कि ‘‘आज भी ‘‘चक्रव्यूह’’ के केन्द्र में छः लोग मौजूद हैं--- ये हैं नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोवल, अंबानी व अडाणी।’’

उन्होंने इसको विस्तार से बताते हुए कहा कि वो यह मानते हैं कि आधुनिक ‘‘चक्रव्यूह’’ के पीछे तीन ताकते हैं।

भारत जिस चक्रव्यूह में फंस चुका है ‘‘उसके पीछे तीन ताकतें ये हैं।

1- पूंजी के एकाधिकार का विचार- सिर्फ दो लोगों को भारत की सम्पूर्ण सम्पदा का स्वामित्व मिलना चाहिए। इसलिए, चक्रव्यूह का एक तत्व वित्तीय शक्तियों के केन्द्रीकरण से निकलकर आ रहा है। दूसरा तत्व देश की संस्थाएं, एजेन्सियां, सी.बी.आई., ई.डी. आयकर हैं।

तीसरा तत्व है सरकार। गांधी ने कहा, ये तीनों तत्व ‘‘चक्रव्यूह’’ के केन्द्र में हैं और इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है।’’

एम.एस.पी. के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह लम्बे समय से चली आ रही किसानों की मांग है। इस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता वादा किया कि एक ऐसा विधेयक लाया जाएगा जो किसानों को उनकी फसल का गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगा।

‘‘मैं देश के किसानों से एक बात कहना चाहता हूं कि जो (एन.डी.ए.) ने नहीं किया, वो हम किसानों के लिए करेंगे। हम इस सदन में वैधानिक गारंटी वाला एम.एस.पी. (बिल) उनके लिए पारित करेंगे।’’

गांधी ने आगे बोलते हुए ‘‘इंडिया गठबंधन’’ के दलों सहित वादा किया कि वे इस सदन में पारित करने के लिए विधिक गारंटीवाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का (बिल) विधेयक लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना कराने के लिए भी एक विधेयक इस सदन में पारित किया जाएगा, और इस कार्य को इंडिया गठबंधन पूरा करेगा।’’

उन्होंने सरकार की इस बात को लेकर आलोचना की कि वह युवाओं को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण चिन्ता की उपेक्षा कर रही है, विशेष रुप से बजट में पेपर लीक के मुद्दे पर।

उन्होंने उल्लेख किया कि ‘‘पेपर लीक’’ युवाओं को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है परंतु वित्त मंत्री ने अपने बजट में इसका उल्लेख नहीं किया।’’

गांधी ने केन्द्रीय बजट 2024 को ‘‘मध्यम वर्ग के लोगों की पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया’’ और जोर देकर कहा कि इस बजट का एकमात्र उद्देश्य ‘‘बड़े व्यवसायियों को मजबूत करना है।’’

आगे यह भी कहा कि ‘‘इस बजट में टैक्स आतंक के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है, जिसकी मार छोटे कारोबारियों पर बहुत पड़ी है। इसका एकमात्र उद्देश्य बड़े कारोबारियों के एकाधिकार को मजबूती प्रदान करना है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से मध्य वर्ग की पीठ में छुरा भोंका है।’’

अध्यक्ष ओम बिड़ला ने चर्चा के दौरान उन लोगों के नामों का उल्लेख किए जाने पर आपत्ति प्रकट की, जो उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे इस पर गांधी ने जवाब दिया, ठीक है, वे उन लोगों का नाम नहीं बोलेंगे जो सदन में उपस्थित नहीं है और उन्होंने अन्य दो लोगों को ‘ए-1’ व ‘ए-2’ के रुप में सम्बोधित किया।

राहुल ने कहा कि यह लड़ाई चक्रव्यूह की रचना करने वालों और जो लोग ‘‘शिव की बारात’’ में भरोसा करते हैं उनके बीच है और आगे कहा कि इस ‘‘बारात’’ का हिस्सा हर वह व्यक्ति है जो बहु-आस्था एवं विविध पृष्ठभूमि में विश्वास करता है।

झारखंड के मुख्यमंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एस.टी. पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का भी उल्लेख किया।

किन्तु उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘यद्यपि प्रवर्तन निदेशालय ने याचिकाकर्ता के आचरण को बहुत उभारने की कोशिश की है, और इसका कारण रहा याचिकाकर्ता द्वारा ई.डी. के अफसरों के खिलाफ दर्ज की गई एफ.आई.आर.। लेकिन इस केस का पूरा अवलोकन करने पर, ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती कि याचिकाकर्ता द्वारा उसी किस्म का अपराध कर रहा है।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत द्वारा रिकॉर्ड किये गये निष्कर्षों का परिणाम ‘‘प्रिवेन्शन ऑफ मनीलॉन्डरिंग एक्ट, 2002 के धारा की शर्त को सन्तुष्ट करता है तथा यह कहता प्रतीत होता है कि ऐसा मानने का पर्याप्त कारण है कि याचिकाकर्ता उस अपराध का दोषी नहीं है, जिसका आरोप उस पर लगाया गया है।’’

ई.डी. ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का दुरूपयोग करके, राज्य की राजधानी के बारगेन क्षेत्र 8.86 एकड़ जमीन ‘‘गैर कानूनी रूप से’’ ले ली।

एजेंसी ने दावा किया था कि जाँच के दौरान, सोरेन ने मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने यह स्वीकार किया था कि जे.एम.एम. नेता ने उन्हें निर्देश दिये थे कि सम्बन्धित भूखंड के स्वामित्व-विवरण को बदलने के लिये सरकारी रिकॉड्र्स में हेर-फेर कर दिया जाये।

ई.डी. ने यह भी कहा कि जब जमीन के मूल स्वामी, राजकुमार पाहन ने उस समय शिकायत दर्ज करने की कोशिश की थी, जब उसकी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया था लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600